न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, जालौन स्थान उरई।

सत्र परीक्षण संख्या–42/2025

सरकार बनाम जीशान आदि।

25.08.2025 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 7ख व 9ख अंतर्गत धारा 250 बी.एन.एस.एस.**

अभियुक्त अब्दुल वाहिद के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को प्रार्थना पत्र 7ख अंतर्गत धारा 250 बी.एन.एस.एस. पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी आदि प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल वाहिद की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र 7ख अन्तर्गत धारा 250 बी.एन.एस. इन अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता की गुमशुदगी के संबंध में दी गयी थी और पूरी तहरीर में व्यपहरण, अपहरण या उत्प्रेरण करना नहीं बताया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध पीड़िता के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुयी है। दिनांक 06.11.2024 को पीड़िता बरामद हुई, पीड़िता ने अपने बयान में अकरम उर्फ अभिजीत के साथ अपनी मर्जी से जाना व उसके साथ शादी करना बताया है तथा घटना के समय अपनी उम्र 22 वर्ष बतायी है। पीड़िता ने अपने धारा 180 बी.एन.एस. के बयान में यह भी बताया है कि उसने देहरादून में अपनी मर्जी से अकरम उर्फ अभिजीत के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है उसे किसी ने डराया या धमकाया नहीं है। उसके घर वाले जबरन उसकी शादी कर रहे थे, वहॉ वह शादी नहीं करना चाहती थी। वह अपने पति अकरम के साथ रहना चाहती है। पीड़िता के बयान धारा 180 व 183 बी.एन.एस. के उपरान्त भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को लगाये गये अभियोग से उन्मोचित करने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त मु0अली की ओर से भी उन्मोचन प्रार्थनापत्र 9ख अन्तर्गत धारा 250 बी.एन.एस.एस.. प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हीं तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है, जो तथ्य प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल वाहिद द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 7ख में उल्लिखित किये गये हैं।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति 11ख व 12ख प्रस्तुत करते हुए यह मुख्यतः कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक ने विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया है और संकलित साक्ष्य के आधार पर ही न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। संज्ञान लेने के उपरान्त से पत्रावली पर अब तक कोई अन्य साक्ष्य नहीं आयी है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के प्रकाश में मैंने पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

धारा 250 बी.एन.एस.एस. सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियुक्त के उन्मोचन का उपबन्ध करती है। इस धारा के अनुसार यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दिये गये दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। धारा 251 बी.एन.एस.एस. सत्र न्यायालय में आरोप विरचन से सम्बन्धित है। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए विर्निदिष्ट प्रकिया के

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2025.08.26 19:54:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अनुसार, अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार न होने पर सत्र न्यायाधीश धारा 250 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अभियुक्त को डिस्चार्ज करने तथा धारा 251 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अनन्यतः सत्र न्यायालय से विचारणीय मामले की उपधारणा होने पर अभियुक्त के विरूद्व आरोप लगाने हेतु सशक्त है। यदि अभियुक्त के विरूद्व अभियोजन के अभिकथनों से सत्र न्यायालय से अनन्यतः विचारणीय अपराध नहीं बनता है, किन्तु मजिस्ट्रेट न्यायालय से विचारणीय मामले का अपराध बनता है तब सत्र न्यायाधीश ऐसे मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधि अनुसार विचारण हेतु भेजेगा।

धारा 250 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर अभियुक्त को उन्मोचित करने के प्रयोजन से की जाने वाली जांच का स्तर वह नहीं होता जो अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए होता है। धारा 250 व 251 बी.एन.एस.एस. से यह स्पष्ट होता है कि विचारण के शुरू में तथा आरम्भिक स्तर पर उस साक्ष्य की, जिसे पेश करने का अभियोजन ने प्रस्ताव किया है, सत्यता, यथार्थता और प्रभाव का अति सावधानी से निर्णय नही किया जाना चाहिए और न ही अभियुक्त की सफाई को कोई महत्व दिया जाना चाहिए। **न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह विचारण के इस स्तर पर विस्तार से विचार करे और भावुकता की दृष्टि से उसकी इस प्रकार जांच करे कि क्या तथ्य, (यदि साबित हो जाये,) अभियुक्त की निर्दोषता से असंगत है या नहीं।** इस स्तर पर यदि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपराध किये जाने के सम्बन्ध में पूरा संदेह हो जाता है तो ऐसा संदेह आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है।

धारा 250 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर केवल अभियोजन पक्ष की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य होती है और किसी गवाह की जिरह नहीं होती है, इसलिए कोई बात ऐसी नहीं होती है, जिससे कहा जा सके कि पेश किए गए गवाह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए केवल यही देखना रहता है कि क्या कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व है या नहीं और यदि है तो क्या उससे आरोप लगाया जा सकता है।

धारा 250 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय को पुलिस द्वारा पेश साक्ष्य और दस्तावेजों की विस्तृत परीक्षा नहीं करनी होती है और न ही अभियुक्त को यह कहकर उन्मोचित करना होता है कि अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य अनधिसम्भाव्य व असंगत होने के कारण अभियुक्त के दोष को अन्त तक साबित नहीं करता है। इस दशा में न्यायालय से मात्र मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करने की अपेक्षा होती है। **कर्नाटक राज्य बनाम मुनीस्वामी ए.आई.आर. 1977 एस.सी.सी. 14119** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो सामग्री अभिलेख पर है यदि वह ऐसी है कि उसका कोई विरोध न किया जाये तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, तब यह आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार है। इस स्तर पर न्यायालय को मामले के अभिलेख और उसके साथ दाखिल किये गए दस्तावेजों पर विचार करना होता है और न्यायालय को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि आगे क्या साक्ष्य आ सकता है। इस स्तर पर न्यायालय को अभियोजन के मामले के गुणावगुण के बारे में बारीक व लम्बी जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसे विचारण की तरह साक्ष्य की समीक्षा भी नहीं करनी है। जिस स्तर की परख, परीक्षण, सबूत तथा निर्णय की अपेक्षा अभियुक्त को अंतिम रूप से दोषसिद्ध या अन्यथा सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, उसकी आवश्यकता धारा 227, 228, 239 या 240, दं0प्र0सं0 के स्तर पर नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उड़ीसा प्रति देवेन्द्र नाथ पाढी 2005 (51) ए0सी0सी0 209** व **स्टेट एण्टी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद प्रति सूर्यप्रकाशन 1999 एस0सी0सी0 (क्रि0)373** तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **सचिन सक्सेना उर्फ लकी प्रति स्टेट आफ यू0पी0 20011 (62) ए0सी0सी0–454** की निर्णयज्ज विधियों में यह व्यवस्था दी है कि आरोप विरचन के समय न्यायालय केवल अन्वेषण एजेन्सी द्वारा संकलित साक्ष्य पर विचार करेगा। आरोप के स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा 173 (2) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट तथा उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों को ही विचार में लेना चाहिए। इस स्तर पर अभियुक्त को मात्र सुने जाने का ही अधिकार है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को न्यायालय द्वारा इस स्तर पर विचार में नहीं लिया जाएगा। **स्टेट आफ देलही प्रति ज्ञानदेवी एवं अन्य 2001 (42) ए0सी0सी039** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचन के स्तर पर न्यायालय को अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का विस्तृत परीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं करना होता है और न ही अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की पर्याप्तता को विचार में लिया जाना होता है। **लियाकत प्रति स्टेट आफ यू0पी0 2011 (62) ए0सी0सी0 453** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ने यह व्यवस्था दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध करने का प्रबल संदेह होने पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है।

प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली एवं केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली/केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय की निर्णयज विधियों के परिशीलन से न्यायलय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 7ख व 9ख अन्तर्गत धारा 250 बी,एन,एस..एस. निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण अब्दुल वाहिद एवं मोहम्मद अली की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमशः 7ख व 9ख अंतर्गत धारा 250 बी,एन,एस..एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक को पेश हो।

दिनांकः 25.08.2025

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1,
जालौन स्थान उरई।